न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **254 / 2015** अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
गुलामखान पुत्र मियाखान जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये जिला कलक्टर बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता वादी — श्री ईश्वरसिंह भाटी।

—:: <u>निर्णय</u> ::—

दिनांक :— **18.08.2025**

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी के कब्जा काश्त की भूमि मौजा कालीजाल, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 61 रकबा 919.02 बीघा की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वक्त सेटलमेंट व सेटलमेंट से पूर्व ही वादी व वादी के पूर्वजों का बिना रोकटोक शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर वादी की रहवासी ढाणी व पानी का टांका आदि बने हुए है। वादी का उक्त वादग्रस्त आराजी पर पिछले लगभग 40 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का कब्जा काश्त होने के बाद भी उक्त वादग्रस्त राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाता में दर्ज है, जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादी का खातेदारी अधिकार है, जिसका वादी राजस्व रेकर्ड में घोषणा करवाने का अधिकारी है। वर्तमान में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होने से उसे जबरन बेदखल करने पर आमादा है, जबकि प्रतिवादीगण को बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ समय पूर्व हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने की कार्यवाही करने की धमकी दी गई तब वादी को सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि उक्त विवादित आराजी में वादी का कब्जा काश्त होने के बावजूद वादी राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नही है। तब वादी द्वारा पूर्व में 80 सीपीसी का नोटिस दिये जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने पर वादग्रस्त आराजी में से 50 बीघा भूमि वादी की खातेदारी घोषित करने तथा वादी को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त व कब्जा काश्त की भूमि से जबरन व बलपूर्वक बेदखल नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 राज पैरोकार द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी व अन्य साक्ष्य द्वारा पीडब्ल्यू 1 से पीडब्ल्यू 3 द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं के बयान गवाह शपथ पत्र पेश किये गये व राज पैरोकार द्वारा वादी साक्ष्य से जिरह की गई, जिसके बयान कलमबद्ध किये गये। प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बंद की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:52:53 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 61 रकबा 919.02 बीघा भूमि में से वादी के कब्जा काश्त की 50.00 बीघा भूमि को वादी की खातेदारी भूमि घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

हमने वाद के तथ्यों पर वादी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि विवादित आराजी मौजा कालीजाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 61 रकबा 191.02 बीघा राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में सरकारी खाता में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी में स्वयं का निरंतर कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा उक्त विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा होने का कथन किया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिसे सिद्ध हो सके की वादग्रस्त आराजी पर वादी या उसके पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त चला आ रहा है। राज पैरोकार के जवाबदावा अनुसार वादग्रस्त आराजी राजकीय पड़त भूमि है, जिस पर वादी का लगातार कब्जा काश्त नहीं चला आ रहा है। जब भी वादी द्वारा उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, तब उसके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई है। वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है तथा वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं वादी द्वारा मात्र सरकारी भूमि को हड़पने की नियत से कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे बेदखल की कार्यवाही की जायेगी। अतः वादी उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है। वादी साक्ष्य जिरह में वादी स्वयं द्वारा कथन किया है कि मैं धारा 91 के तहत कार्यवाही होने पर जुर्माना भरता आ रहा हुं, जबकि धारा 91 अतिक्रमी को बेदखली की कार्यवाही से संबंधित है। अतः उक्त वाद मे वादी द्वारा वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं करने तथा धारा 91 की कार्यवाही के तहत अतिक्रमी होने से वादी वादग्रस्त आराजी मे किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से उक्त वाद को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.28 11:52:53 IST
Reason: SelfAttested